

अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष :- 2024

अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम उमेश चन्द्र शर्मा एवं पद नाम.-

वैतनमान रुपये :- 44840 /- वैतनवृद्धि की अगली तिथि:- 1.1.25 26

उस जिले उप समाग तालिका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा अन्य भवन या भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है ।	उसे किस प्रकार अर्जित किया खरीदा पट्टा , बंधक दिरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई उस का नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से प्राप्त वार्षिक आय	अव्ययित
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	LI/II/304	25 लाख	स्वयं	वैतनी के लिए	निरंक	
	बागमुरा विमा 462043					

शासकीय सेवक के हस्ताक्षर 10.1.25 .

जो कर्नल काट दीजिये ।

उसके पट्टे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय ।
उसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी:- म0प्र0 शासकीय सेवक (आचरण नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वहाँ स्वयं की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति का ब्यौरा दें ।

